रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 2004/आषाढ़ 25, 1926
No. 124] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 2004/ASADHA 25, 1926

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2004

आई जी/प्रशा./(जी)/कुलसचिव/2003/1706.— इं.गां. रा.मु.वि. के अधिनियम, 1985 (1985 की सं. 50) के अनुभाग 25 (2) में निहित्त प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 28-2-2003 को आयोजित अपनी बैठक में विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में जैसे शैक्षिक परिषद् और योजना बोर्ड में कुलसचिव की स्थिति के संबंध में संविधि 5(6)(ii), उप-अनुभाग (ख), (ग) और (घ), 9(vii) और 10(1)(iv) में संशोधन किया है इसे भारत के राष्ट्रपति ने कुलाध्यक्ष के रूप में अनुमति प्रदान की है, जैसा कि मा.सं.वि.मं. के पत्र सं. 5-25/2003 डेस्क (यू)(ए) दिनांक 15 मार्च, 2004 द्वारा अभिव्यक्त किया गया है।

5. **कुलसचिव**

संविधि 5(6)—संशोधन के बाद कुलसचिव की स्थिति को इस प्रकार पढ़ा जाए :

प्रबंध बोर्ड द्वारा पदनामित कुलसचिव :

(i) प्रबंध बोर्ड का सचिव होगा

(ii) शैक्षिक परिषद् का सदस्य होगा

(iii) योजना बोर्ड का सदस्य होगा।

संविधि 9 (vii) शैक्षिक परिषद

निदेशक, शैक्षिक समन्वय प्रभाग शैक्षिक परिषद् के सदस्य सचिव होंगे।

(x) प्रबंध बोर्ड द्वारा पदनामित इस प्रकार के कुलसचिव सदस्य (पदेन) होंगे।

संविधि 10—योजना बोर्ड

1 (vi) प्रबंध बोर्ड द्वारा पदनामित इस प्रकार का कुलसचिव सदस्य (पदेन) होंगे।

1 (vi) निदेशक, योजना एवं विकास प्रभाग योजना बोर्ड का सदस्य सचिव होगा।

ए.एस. नारंग, कुलसचिव (प्रशा.)

[विज्ञापन III/IV/133/2004-असा.]

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2004

IG/Admn/(G)/Registrar/2003/1706.—In exercise of the powers vested in it, under the provisions of Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board of Management of the University, at its 74th Meeting held on 28-2-2003 had made amendments to Statutes 5(6)(ii) and (iii), sub-clauses (b), (c) and (d), 9(vii) and 10(1)(iv), regarding the position of the Registrar in the Authorities of the University such as Academic Council and Planning Board. This has the approval of the President of India in his capacity of Visitor as Conveyed under Ministry of HRD's letter No. F. No. 5-25/2003-Desk (U)(A) dated 15th March, 2004.

5. The Registrar

Statute 5(6) — the position of Registrar, after amendment reads as under :

Such of the **Registrar** as is designated by the Board of Management shall be :

(i) The Secretary to the Board of Management;

(ii) Member of the Academic Council;

(iii) Member of the Planning Board.

Statute 9(vii) – Academic Council

Director, Academic Coordination Division shall be the **Member-Secretary of the Academic Council.**

(x) Such of the **Registrars** as is designated by the Board of Management shall be a Member. - (Ex-officio)

Statute 10 – The Planning Board

1(v) Such of the Registrar as is designated by the Board of Management shall be a **Member. - (Ex-officio)**

1(vi) **Director, Planning & Development Division** shall be the **Member Secretary of the Planning Board.**

A. S. NARANG, Registrar (Admn.)

[ADVT III/IV/133/2004-Exty.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2004

सं.आई जी/प्रशा.(जी)/आध्या.14/2000/1710.— इग्नू अधिनियम, 1985(1985 का 50) के उप-अनुभाग 26 (2) के तहत प्रावधानों के साथ पठित अनुभाग 26(1)(क) के प्रावधानों में निहित, शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 3-7-2003 को हुई अपनी बैठक में मा.सं.वि.मं. के पत्र सं. 5-3/2004-डेस्क (यू) (ए) दिनांक 23-2-2004 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसार विभिन्न् उपाधियों, डिप्लोमा, और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों के प्रवेश, पात्रता, अवधि और संरचना के संबंध में अध्यादेश सं. 14 के खंड 1(3) में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्द्धन किए हैं।

अध्यादेश-14 का खंड 1 (3) तृतीय परंतुक में संशोधन के बाद निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाएगा:

"आगे यह प्रावधान है कि इस प्रकार की एजेंसी का चयन अखिल भारतीय स्तर पर खुली निविदा के आधार पर होगा और कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा निविदा खोली जाएगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। निविदा मूल्यांकन समिति का गठन इस प्रकार होगा:"

1. एक सम-कुलपति (कुलपति द्वारा नामित)-अध्यक्ष
2. प्रबंध बोर्ड का एक सदस्य कुलपति द्वारा नामित
3. वित्त अधिकारी
4. कुलसचिव
5. कुलसचिव (वि.प.मू. प्रभाग)
6. निदेशक संबंधित विद्यापीठ

ए.एस. नारंग, कुलसचिव (प्रशा.)

[विज्ञापन III/IV/133/2004-असा.]

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2004

IG/Admn/(G)/Ord.14/2000/1710.—In exercise of the powers vested in it, under the provisions of Section 26(1)(a) read with the provisions under Sub-section 26(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board of Management of the University, at its 76th Meeting held on 3-7-2003 had made the following amendments/additions in Clause 1(3) to Ordinance No. 14 on Admission, Eligibility, Duration & Structure of various Degrees, Diplomas and Certificate Programme & Courses, as concurred by MHRD vide its letter No.F.No.5-3/2004-Desk(U)(A) dated 23-2-2004.

Clause 1(3) to Ordinance 14 - after amendment the third proviso will read as follows :

"Provided further that selection of such agencies will be based on an open tender on All India basis and that tenders shall be opened and evaluated by a Committee constituted for the purpose by the Vice-Chancellor. The composition of the Tender Evaluation Committee shall be as under :

1. A Pro-Vice-Chancellor (nominated by the Vice-Chancellor) - Chairman
2. A Member of the Board of Management nominated by the Vice-Chancellor
3. Finance officer
4. Registrar
5. Registrar (SR&E)
6. Director, School concerned."

A. S. NARANG, Registrar (Admn.)

[ADVT III/IV/133/2004-Exty.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2004

सं.आई जी/प्रशा.(जी)/कुलसचिव/2003/1765.— इग्नू अधिनियम, 1985(1985 का 50) के भाग 27 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंध बोर्ड ने 30-4-2004 को आयोजित अपनी 79वीं बैठक में शैक्षिक परिषद् और योजना बोर्ड की बैठकों के विनियमों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं

3. शैक्षिक परिषद् की बैठक के लिए विनियम

(इग्नू अधिनियम के भाग 27)

3. प्रबंध बोर्ड द्वारा **सदस्य-सचिव** के रूप में पदनामित **निदेशक (शैक्षिक समन्वय)** द्वारा परिषद् की बैठक के लिए सूचना जारी की जाएगी।

5. प्रबंध बोर्ड द्वारा **सदस्य-सचिव** के रूप में पदनामित **निदेशक (शैक्षिक समन्वय)**--------परिचालित करेगा।

6. प्रबंध बोर्ड द्वारा **सदस्य-सचिव** के रूप में पदनामित **निदेशक (शैक्षिक समन्वय)** द्वारा परिषद् की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, यदि इस प्रकार की बैठक में -------- के लिए अनुरोध किया जाता है।

11. प्रबंध बोर्ड द्वारा सदस्य सचिव के रूप में पदनामित निदेशक (शैक्षिक समन्वय) द्वारा सामन्यत:---------- कार्यवृत्त की पुष्टि के बाद, बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा।

4. योजना बोर्ड की बैठक के लिए विनियम

(इग्नू अधिनियम का भाग 27)

3. प्रबंध बोर्ड द्वारा **सदस्य-सचिव** के रूप में पदनामित **निदेशक (योजना एवं विकास प्रभाग)** द्वारा परिषद् की बैठक के लिए सूचना जारी की जाएगी।

5. प्रबंध बोर्ड द्वारा **सदस्य-सचिव** के रूप में पदनामित **निदेशक (योजना एवं विकास प्रभाग)** ----------परिचालित करेगा।

6. प्रबंध बोर्ड द्वारा **सदस्य-सचिव** के रूप में पदनामित **निदेशक (योजना एवं विकास प्रभाग)** द्वारा परिषद् की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, यदि इस प्रकार की बैठक में ---------- के लिए अनुरोध किया जाता है।

11. प्रबंध बोर्ड द्वारा **सदस्य-सचिव** के रूप में पदनामित **निदेशक (योजना एवं विकास प्रभाग)** द्वारा सामान्यत: --------- कार्यवृत्त की पुष्टि के बाद, बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा।

ए.एस. नारंग, कुलसचिव (प्रशा.)

[विज्ञापन III/IV/133/2004-असा.]

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2004

IG/Admn.(G)/Registrar/2003/1765.—In exercise of the power vested in it, under provisions of Section 27 of the IGNOU Act, 1985 (50 of 1985), the Board of Management, at its 79th Meeting held on 30-4-2004 had made the following amendments to the Regulations for the meetings of Academic Council and Planning Board.

3. Regulations for the meeting of the Academic Council (Section 27 of the IGNOU Act)

3. The notice for a meeting of the Council shall be issued by the **Director (Academic-Coordination)** designated by the Board of Management as its **Member-Secretary.**

5. The **Director (Academic-Coordination),** designated by the Board of Management as its **Member-Secretary,** shall circulate..... meeting itself.

6. A special meeting of the Council may be convened by the **Director (Academic-Coordination),** designated by the Board of Management as its **Member-Secretary,** if a request to..... at such a meeting.

11. The minutes of the meeting shall be prepared by the **Director (Academic-Coordination)** designated by the Board of Management as **Member-Secretary,** ordinarily..... minutes are confirmed.

4. Regulations for the meeting of the Planning Board. (Section 27 of IGNOU Act)

3. The notice for a meeting of a Board shall be issued by the **Director (P&DD),** designated by the Board of Management as its **Member-Secretary.**

5. The **Director (P&DD)** designated by the Board of Management, as its **Member-Secretary,** shall circulate..... meeting itself.

6. A special meeting of the Board may be convened by the **Director (P&DD),** designated by the Board of Management as its **Member-Secretary,** if a request to..... at such a meeting.

11. The minutes of the meeting shall be prepared by the **Director (P&DD),** designated by the Board of Management as its **Member-Secretary,** ordinarily minutes are confirmed.

A. S. NARANG, Registrar (Admn.)

[ADVT III/IV/133/2004-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.